

MATTERS UNDER RULE 377

(i) POWER CRISIS IN DELHI DUE TO AGITATION BY EMPLOYEES OF DESU

SHRI VAYALAR RAVI (Chirayinkil): Sir, may I draw the attention of the House to a very important matter of urgent public importance. Sir, there have been a series of power breakdowns in the Capital during the last few days. This has resulted in a lot of hardship to the citizens of the Capital. People are suffering a lot because of lack of electricity and also because of power breakdowns which in certain areas even go upto six hours. In this connection I quote here Shri Swarup Chand Gupta, Chairman of the Delhi Electric Supply Committee, who has said that the power breakdowns have increased considerably. Now, this has only been admitted by the government but almost nothing has been done by the government to see that power supply in Delhi is normalised. -

Sir, there are about 25,000 employees of DESU who have been going on agitation for the last few weeks. Five of the employees are on hunger strike. Neither the Government at the Centre nor the Delhi Municipal Corporation are taking any steps to solve this problem and save the Delhi citizens of the power crisis. I would request the Government to do the needful in this respect.

(ii) RESTRICTIONS PROPOSED BY JDA ON DOCTOR'S CLINICS AND NURSING HOMES IN RESIDENTIAL AREAS

डा० सुशीला नायर (झाँसी): आपके माध्यम से मैं हाउसिंग के मंत्री जी का ध्यान एक महत्वपूर्ण सवाल की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। इस विषय के बारे में पहले सवाल भी पूछे गए हैं। अब मैं उन से नियम 377 के अन्तर्गत एक सवाल करना चाहती हूँ। डी० डी० ए० की तरफ से एक आदेश निकाला गया है कि नर्सिंग होम्स और डाक्टरों के क्लिनिक रेजीडेंशियल एरियाज

में नहीं होंगे। अगर होंगे तो उनको प्रासीक्यूट किया जाएगा, उनको हटाया जाएगा। क्या यह उचित है? उन्होंने एक जवाब में यह कहा है कि एक चौपाई हिस्सा घर का क्लिनिक के लिए रखा जा सकता है और नर्सिंग होम्स को जो हटाना ही है। थोड़ा समय हम इसके लिये दे सकते हैं। लेकिन श्रीमन आज सबेरे भी हम सब ने सुना कि किस प्रकार रेस्पतालों में इस वक्त भीड़-भाड़ रहती है और वहां स्थान कम होने की वजह से दो-दो रोगियों को एक पलंग पर रखा जाता है। रेस्पतालों की हालत बहुत खराब हो रही है। दो, दो मरीज एक बेंच पर रखे जा रहे हैं, और छः छः बच्चे एक बेंच में रखे जाते हैं। सुविधायें नहीं हैं। क्या उनको मालूम है कि 88 नर्सिंग होम्स हैं दिल्ली में, जिनमें 15 सें ले कर 50 बैड्स तक का प्रोविजन है, सर्जरी की भी उनमें व्यवस्था है। क्लिनिकस की संख्या तो बहुत ज्यादा है और दो-दो चार-चार डाक्टरों ने मिल कर सारी डायग्नोस्टिक फेसिलिटीज, ऐक्सरे मे ले कर पैथोलॉजिकल टेस्ट्स इत्यादि की सुविधाएँ रखी हुई हैं। तो अगर वह रेजीडेंशियल एरियाज में रहते हैं तो उससे लोगों को सुविधायें होती हैं। घर के पास होने से तीमारदारों को बहुत सुविधा मिलती है। घर में खाना भी ले जा सकते हैं। अगर उनको बिजनेस और कर्माशियल एरियाज में ले जाने की बात करेंगे तो वह गलत होगा। दुनिया भर में नर्सिंग होम्स रेजीडेंशियल एरियाज में ही होते हैं। अतः क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, और क्या उनका इस आर्डर को पलटने का इरादा है? यदि हाँ तो कब तक?

(iii) WHEAT LYING IN THE OPEN IN CHANDIGARH AND OTHER CENTRES OF PUNJAB AND HARYANA

SHRI YADVENDRA DUTT (Jaunpur): Sir, with your permission, I beg to raise the following matter under Rule 377.